

THE UTTAR PRADESH NAGAR MAHAPALIKA (SANSHODHAN)  
ADHINIYAM, 1970

(U. P. Act No. 8 of 1970)

[\*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (San-  
shodhan) Adhiniyam, 1970].

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 and  
the Uttar Pradesh Mahapalika (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1966.

It is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as  
follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Sansho- Short title.  
dhan) Adhiniyam, 1970.
2. In section 208 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, Amendment of  
1959, hereinafter referred to as the principal Act, for the words "When the Section 208 of  
assessment list has been prepared" the words "When assessment list for the U. P. Act No. 11  
whole of the City or of any word thereof containing the particulars mentioned of 1959.  
in clauses (a) to (c) of section 207 has been prepared" shall be *substituted*,  
and for the words, "the list", wherever occurring, the words "that list" shall be  
*sustituted*.
3. In section 209 of the principal Act, in sub-section (1), for the words Amendment of  
"entered therein" the words and figures "entered in the list mentioned in section 209.  
section 208" shall be *substituted*.
4. For section 210 of the principal Act the following section shall be Amendment of  
*substituted*, namely :— section 210.  
"210. (1) After the disposal of all objections pertaining to the list  
for the City of any ward thereof, as the case may be, the Chairman of  
the Committee or of the Sub-Committee concerned, if any, shall authenti-  
cate by his signature that list as well as all amendments made therein  
under sub-section (3) of section 209.  
(2) Every list so authenticated shall be deposited in the office of the  
Mahapalika.  
(3) As soon as the list for the entire City is so deposited it shall be  
declared by public notice to be open for inspection."
5. In section 211 of the Principal Act, in sub-section (2) for the words  
"until the first day of April next following the completion of the new list" the  
words "until the first day of April or the first day of October next following  
the completion of the new list, whichever is earlier" shall be *substituted*.
6. In the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Alpakalik Vyavastha) Adhi-  
niyam, 1966, in the opening paragraph of section 2 for the words "three years  
and eleven months" the words "four years and eleven months" shall be  
*substituted*.
7. The Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Sandhodhan) Adhyadesh, 1969 Repeal of U. P.  
is hereby repealed. Ordinance 10 of  
1969.

\*(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*,  
dated March 4, 1970).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 11, 1970 and by  
the Uttar Pradesh Legislative Council on March 21, 1970.)

(Received the Assent of the Governor on March 31, 1970 under Article 200, of the Consti-  
tution of India, and was published in the *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated  
April 2, 1970).

## उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1970)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 21 मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 31 मार्च, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 2 अप्रैल, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1966 का अप्रैत संशोधन करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के इककीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

- 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम
- 2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 208 में, शब्द "निर्धारण सूची तैयार हो जाने पर," के स्थान पर शब्द "जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी कक्ष के लिये निर्धारण सूची, जिसमें धारा 207 के खण्ड (क) से (ङ) तक के शरीरे दिये हों, तैयार हो जायं तब" रख दिये जायें, और जहाँ-जहाँ पर शब्द "सूची" या शब्द "ऐसी सूची" आये हों उनके स्थान पर शब्द "उक्त सूची" रख दिये जायें। उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 2, 1959 की धारा 208 का संशोधन
- 3—मूल अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) में, शब्द "सूची में दर्ज" के स्थान पर शब्द तथा शब्द "धारा 208 में उल्लिखित सूची में दर्ज" रख दिये जायें। धारा 209 का संशोधन
- 4—मूल अधिनियम की धारा 210 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—  
"210—(1) नगर या उसके किसी कक्ष के लिए, जैसी भी दशा हो, सूची से सम्बन्धित आपत्तियों का निवटारा हो जाने के पश्चात्, समिति या सम्बन्धित उप-समिति, यदि कोई हो, का सभापति उक्त सूची को और धारा 209 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उसमें किये गये सभी संशोधनों को भी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत करेगा।  
(2) इस प्रकार प्रमाणोक्त प्रत्येक सूची महापालिका के कार्यालय में जमा कर दी जायेगी।  
(3) जब सम्पूर्ण नगर की सूची इस प्रकार जमा कर दी जाय तब वह सार्वजनिक नोटिस द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध घोषित कर दी जायेगी।" धारा 210 का संशोधन
- 5—मूल अधिनियम की धारा 211 में उपधारा (2) में, शब्द "नई सूची के पूर्ण होने के पश्चात् पड़ने वाली पहली अप्रैल तक" के स्थान पर शब्द "नई सूची के पूर्ण होने के पश्चात् पड़ने वाली पहली अप्रैल अथवा पहली अक्टूबर, जो भी पहले हो, तक" रख दिये जायें। धारा 211 का संशोधन
- 6—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1966 में धारा 2 के प्रारम्भिक पैरा में शब्द "तीन वर्ष ग्यारह महीने" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष और ग्यारह महीने" रख दिये जायें। उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1966 का संशोधन
- 7—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1969 एतद्वारा निरस्त किया जाता है। उ० प्र० अध्यादेश सं० 10, 1969 का निरसन

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 4 मार्च, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये)।